

प्रथम नियुक्ति के समय से अब तक चल-अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष दिनांक 31.12.2017

88-67

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :- सुरेन्द्र सिंह गौर (राज्य पुलिस सेवा)
2. प्रथम नियुक्ति दिनांक /वर्तमान धारित पद :- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला दतिया म0प्र0
3. जन्मतिथि :- 26.01.1972
4. वर्तमान वेतन रूपये- 100230/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख- 01.07.2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया..... . खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला दमोह संभाग सागर तहसील दमोह	गृह	-	15,00,000/-	अविभाजित पैतृक सम्पत्ति जो अभी मेरे नाम पर नहीं है।	निल	निल	निल
जिला-कानपुर देहात संभाग-कानपुर तहसील-देरापुर ग्राम-सबलपुर पोस्ट-मंगलपुर	-	आवा स एवं कृषि भूमि	-	अविभाजित पैतृक सम्पत्ति जो अभी मेरे नाम पर नहीं है।	निल	निल	निल
जिला-भोपाल संभाग-भोपाल	प्लॉट	-	1,25,000/-	स्वयं	होली कार्बिस्ट सोसायटी से कय किया।	निल	निल

1. जहां लागू न हो उसे काट दीजिए
2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके टपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

(सुरेन्द्र सिंह गौर)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला दतिया म0प्र0